

प0स0-स्था-2-विभागीय-प्रशिक्षण -2009बैच-नवप्रवेशी,वारकरी/ 2010-असिस्टेंट /13-14/ 2259/ वारकर,  
 कार्यालय कमिशनर, वाणिज्य कर, 30प्रा०  
 ( स्थापना-राजपत्रित अनुभाग )  
 लखनऊः दिनांकः १५ अगस्त, 2013

:-आदेश :-

वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, 4 विभूति खण्ड गोमतीनगर लखनऊ मे दिनांक 29.07.2013 से दिनांक 27.09.2013 ( 40 कार्य दिवस ) तक आयोजित होने वाले आधारभूत प्रशिक्षण मे भाग लेने हेतु दिनांक 17.07.2013 के पश्चात् कार्यभार ग्रहण करने वाले निम्न असिस्टेंट कमिशनर (2010 बैच) एवं वाणिज्य कर अधिकारियों (2009 बैच) को नामित किया जाता है :-

असिस्टेंट कमिशनर 2010 बैच

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	सम्बद्धीकरण जोन / तैनाती स्थल
1.	श्री विकास विपाठी	वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ (स्थापना राजपत्रित अनुभाग)

वाणिज्य कर अधिकारी 2009 बैच

क्रम संख्या	वाणिज्य कर अधिकारी का नाम	सम्बद्धीकरण जोन
1.	श्री चरण सिंह	सम्बद्ध एडीशनल कमिशनर प्रेड-1 वाणिज्य कर मेरठ जोन, मेरठ

उक्त नामित अधिकारियों को दिनांक 29.07.2013 की प्रातः 9.00 बजे तक अनिवार्य रूप से संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) वाणिज्य कर, विभूति खण्ड प्रशिक्षण संस्थान गोमतीनगर लखनऊ के कार्यालय मे उपस्थिति होना है। इस प्रशिक्षण मे किसी भी अधिकारी को छूट नहीं दी जायेगी।

प्रशिक्षु अधिकारियों से अपेक्षित कार्यवाही से सम्बन्धित कुछ दिशा निर्देश जारी किये गये हैं जो निम्नानुसार हैं :-

व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम योगदान हेतु दिशा निर्देश

- \* कार्यभार ग्रहण करने की ओपचारिकताएँ (मेस का एक माह का व्यय जमा करने सहित) प्रातः 9 बजे से अपराह्न 12 बजे तक पूर्ण कर लेनी होगी। इसके उपरांत किसी भी अधिकारी को प्रशिक्षण कार्यक्रम मे योगदान देने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- \* अपनी फोटो आईडी० मूल रूप मे साथ लेकर आये।
- \* प्रशिक्षण अवधि मे हास्टल मे आवाटित कक्ष को अपनी इच्छा से बदलने की किसी प्रशिक्षु अधिकारियों को अनुमति नहीं होगी।
- \* प्रशिक्षु अधिकारियों को अपने कमरे मे अतिथियों (परिवार के सदस्यों, मित्रों, पाति/पत्नी या कोई अन्य) को बुलाने एवं ठहराने की अनुमति नहीं है। आतः प्रशिक्षण संस्थान मे योगदान देने के समय कृपया अपने साथ अन्य किसी व्यक्ति को न लायें।
- \* संस्थान मे प्रशिक्षु अधिकारियों को अपने पहनावे पर विशेष व्यापार देना होगा। प्रशिक्षण सत्र के दौरान उन्हें हमेशा औपचारिक / शालीन प्रशिक्षु अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि के कमी भी अस्त-व्यत्यत स्थिति मे न देखें जायें तथा वे अपने कक्ष को सुव्यवसित रखें।
- \* प्रशिक्षु अधिकारियों के खान-पान की व्यवस्था संस्थान की मेस मे रहेंगी। मेस मे भोजन का व्यय प्रशिक्षु अधिकारियों को वहन करना होगा। हास्टल के कक्षों मे खाना बनाना/मंगाना निषिद्ध है। मेस मे अतिथियों को भोजन हेतु लाना वर्जित होगा।
- \* प्रशिक्षण कक्षाओं के दौरान मोबाइल फोन का प्रयोग निषिद्ध है। प्रशिक्षण कक्षाओं के दौरान प्रशिक्षु अधिकारी मोबाइल वाइफ्रेंटिंग अथवा सकत है।
- \* प्रशिक्षण संस्थान मे जिन प्रशिक्षु अधिकारियों को मद्यपान, सिगरेट या तमाकू आदि का सेवन करते हुए पाया जायेगा या जिनके पास एसी निषिद्ध समाजी पायी जायी उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम से निष्कासित कर दिया जायेगा। इसके साथ ही सम्बन्धित नियम के तहत प्रशिक्षु अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी की जायेगी।
- \* आधारभूत / व्यावसायिक प्रशिक्षण के दौरान किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- \* प्रशिक्षु अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि कृपया अपने साथ कम से कम एक माह के खर्च हेतु पर्याप्त धनराशि लेकर आये तथा खर्च हेतु पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था रखें।
- \* प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि मे अपर निदेशक (प्रशिक्षण) एवं अन्य संकाय अधिकारियों द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का शत. करना होगा। विपरीत दशा मे दोषी अधिकारी को प्रशिक्षण कार्यक्रम से निष्कासित करने पर विचार किया जायेगा।

उक्त नामित अधिकारी प्रशिक्षणोपरान्त अवमुक्त होने पर अपने वर्तमान तैनात / सम्बद्धता के स्थान पर अपने नियंत्रक अधिकारी को रिपोर्ट करें। उक्त आदेश कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

Peace  
 (विनोद कुमार सिंह)  
 ज्ञानन्त कमिशनर (स्था०) वारकर,  
 मुख्यालय, लखनऊ।

पृष्ठोंकन पत्र संख्या व दिनांक-उत्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ पर्व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. विशेष सचिव, कर एवं निवेदन अनुभाग-१, ३०प्र०शासन, लखनऊ।
2. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. सम्बन्धित जोनल एडीशनल कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने जोन मे तैनात उक्त सूचियों मे अंकित अधिकारियों को दिनांक 29.07.13 से शुरू होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम मे योगदान आळ्या प्रस्तुत करने हेतु अपने स्तर से अवमुक्त करते हुये निर्देश जारी करने का कष्ट करें।
4. सम्बन्धित निदेशक, वाणिज्य कर, वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान गोमतीनगर लखनऊ।
5. असिस्टेंट (आईटी) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
6. सम्बन्धित अधिकारियों को नाम से।

Peace  
 (विनोद कुमार सिंह)  
 ज्ञानन्त कमिशनर (स्था०) वारकर,  
 मुख्यालय, लखनऊ।